निर्णय व इजलास संदेश नायक आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 44/2023 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये महेन्द्र कुमार मीणा, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हरिकिशन अहीरवार पुत्र श्री ठाकुरदारा अहीरवाल, निवासी ग्राम हामा, पोस्ट निवारी, जिला छतरपुर, थाना ओरछा, मध्यप्रदेश।
2. श्री ज्वाला अहीरवार पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी ग्राम हामा, पोस्ट निवारी, जिला छतरपुर, थाना ओरछा, मध्यप्रदेश।
3. श्री सुभाष खन्ना पुत्र श्री सोहनलाल खन्ना, निवासी रोड, नम्बर 11, पंजाबी बाग एक्सटेंशन, वेस्ट दिल्ली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 01 ट्रक टेंकर संख्या DL-01-GC-7524 मय 13993. 250 लीटर को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिव आर चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री राजवीर चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से।

निर्णय दिनांक 13.04.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा तहरीर प्रस्तुत कर बताया कि अप्रार्थी संख्या 1 हरिकिशन अहीरवार एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री ज्वाला अहीरवार को ट्रक टेंकर संख्या DL-01-GC-7524 में भरे हुये डीजल के बेचता हुआ पाया गया तथा इनको पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा पकड कर मय ट्रक टेंकर व डीजल सहित पुलिस थाना भांकरोटा लाया गया। मौके पर उक्त टेंकर का निरीक्षण किये जाने पर टेंकर में 5–5 हजार लीटर के चार कम्पार्टमेन्ट है जिसको जब्त किया गया। जब्त टेंकर एवं डीजल को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 31.07.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिव आर चौधरी अभिभाषक ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री राजवीर चौधरी, अधिवक्ता ने वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र बाबत

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सुपुदर्गी पर दिये जाने वाहन संख्या DL-01-GC-7524 बाबत पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नहीं आए, अतः पत्रावली में पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी संख्या 3 की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 हरिकिशन अहीरवार एवं अप्रार्थी संख्या 2 श्री ज्वाला अहीरवार को **ट्रक टेंकर संख्या** DL-01-GC-7524 में भरे हुये डीजल के बेचता हुआ पाया गया तथा इनको पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा पकड कर मय ट्रक टेंकर व डीजल सहित पुलिस थाना भांकरोटा लाया गया। मौके पर उक्त टेंकर का निरीक्षण किये जाने पर टेंकर में 5–5 हजार लीटर के चार कम्पार्टमेन्ट है। मौके पर डिप रॉड व केलिब्रेशन चार्ट के आधार पर टेंकर में भण्डारित पेट्रोलियम उत्पाद डीजल 14000 लीटर पाया गया। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 हरिकिशन अहीरवार ने बताया कि अप्रार्थी संख्या 3 सुभाष खन्ना मुझे डीजल टेंकर देकर सप्लाई के लिये भेजते है तथा अप्रार्थी संख्या 3 जिस गाडी में डीजल डालने के लिये कहते है वह उस गाडी में डीजल डाल देते है। **मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तोवज प्रस्तुत किये तथा ना ही लाईसेन्स, परमिट आदि प्रस्तुत किये और न ही व्यावसायिक उपयोग के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया।** इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. योग्य अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी के वाहन के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा–6–ए(1) परन्तुक प्रार्थी के वाहन पर लागू नहीं होते है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार टैक्स कटवा कर, माल खरीद का ई वे बिल जारी करवा कर नियमानुसार माल का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस द्वारा सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र पेश किया जा चुका है एवं जब्तशुदा माल के सेम्पल भी प्राप्त किये गये थे, परन्तु जब्तशुदा माल डीजल हो ऐसी कोई एफ.एस.एल. की जांच रिपोर्ट पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ पेश नहीं की गई। अप्रार्थी का वाहन पुलिस थाने में खुले स्थान पर खडा है, जो कि धूल व मिट्टी, धुये एवं बरसात से खराब हो रहा है साथ ही माल का भरा होने के कारण खडे ट्रक के टायर व बैट्री भी खराब हो रही है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक हानि हो रही है। अप्रार्थी संख्या 3 सुभाष खन्ना जब्त वाहन का एक मात्र मालिक स्वामी है तथा सुपुदर्गी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जब्तशुदा सामग्री एवं वाहन को रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।

5. उभय पक्ष को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 01.07.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा **ट्रक टेंकर संख्या** DL-01-GC-7524 में भरे हुये डीजल बिना अनुज्ञापत्र के पेट्रोलियम उत्पादो का क्रय विक्रय, अवैध भण्डारण के बेचता हुआ पाया गया। इनको पुलिस थाना भांकरोटा द्वारा पकड कर मय ट्रक टेंकर व डीजल सहित पुलिस थाना भांकरोटा लाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच मौके **ट्रक टेंकर संख्या** DL-01-GC-7524 में 14,000 लीटर डीजल **पाया गया।** अप्रार्थीगण द्वारा बिना अनुज्ञापत्र डीजल का अवैध भण्डारण, परिवहन एवं क्रय विक्रय किया गया है, जो राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के तहत जारी अनुज्ञापत्र के प्रावधानों को

जिला कलक्टर जयपुर

स्पष्ट उल्लंघन है किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा–3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है।

7. अप्रार्थी संख्या 3 श्री सुभाष खन्ना पुत्र श्री सोहन लाल खन्ना मालिक DL-01-GC-7524 इस कृत्य में संलिप्त नहीं है यह साबित करने नाकामयाब रहा है। वाहन मालिक इस कृत्य में संलिप्त नहीं है यह साबित करने में नाकामयाब रहा है। अतः गाडी मालिक अबेटर की श्रेणी में आते है। जब्त किये वाहन का निस्तारण किये जाने के बारे में धारा–6–ए (1) के परन्तुक में प्रावधान दिये गये है। परन्तुक के अनुसार भाड़े पर माल या यात्रियों को ले जाने के लिये प्रयुक्त किसी पशु, गाडी, यान या अन्य प्रवहरण की दशा में उसके स्वामी को उसको अधिहरण किये जाने के बदले में ऐसा जुर्माना जो ले जाने वाली आवश्यक वस्तु के अधिग्रहण की तारीख को उसकी बाजार कीमत से अधिक न हो, संदाय किये जाने का विकल्प दिये जाने का प्रावधान है। थानाधिकारी भांकरोटा, जिला जयपुर द्वारा वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से **जब्त 13993.250 लीटर डीजल** को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में **दिनांक 31.07.2023** को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें एवं वाहन नम्बर DL-01-GC-7524 के मालिक 6,50,000/–रूपये (अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये) जुर्माना राशि " मद 8443–00–103–00 प्रतिभूति राशि " में जमा कराते है व उक्त वाहन अन्य किसी न्यायालय या प्रकरण में वांछित नहीं है, तो उक्त वाहन को छोड दिया जावे और यदि जुर्माना राशि एक माह में जमा नहीं करता है तो उक्त वाहन को जब्त कर लिया जावे साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करे कि कार्यवाही के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द बुर्द नहीं करेगे और ना ही रंग रोगन करेगे। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

9. निर्णय की प्रति **हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम** को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
जयपुर